न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 166/19 **निर्णय दिनांकः–13–01–2020**

1. अशोक कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी काल तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. तरविणीदेवी पत्नी अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी कालू तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07–05–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 07–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आवंटन समिति मातहत के समक्ष दिनांक 18–01–1985 को बतौर भूमिहीन सलाहकार समिति द्वारा जरिये लॉटरी अपीलांट को 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किये जाने पर आवांटन अधिकारी द्वारा उपनिवेशन तहसील

कोलायत के चक 01 एडीएम के मुरब्बा नम्बर 226/17 के किला नम्बर 1 में 25 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 07–05–2003 को किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1999 से आरक्षित थी तथा बतौर विशेष आवंटन अन्य व्यक्ति उदाराम पुत्र रामचन्द को आवंटित है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–05–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 30–09–19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि प्रारंभ से ही विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–05–2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 30–09–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18–01–1985 को दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अठारह वर्ष उपरान्त दिनांक 07–05–2003 को अपीलांट को सक्षम मानते हुए दिनांक 07–05–2003 को उपनिवेशन तहसील कोलायत चक 01 एडीएम के मुरब्बा नम्बर 226/17 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त कार्यवाही की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई तथा कालान्तर में यह भूमि बतौर विशेष आवंटन में अन्य व्यक्ति उदाराम पुत्र रामचन्द्र व राजूदेवी पत्नी उदाराम आदि को आवंटित कर दी गई। जोकि वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इसप्रकार अपीलांट/आवेदक को 18 साल तक इंतजार में रखा गया तथा उसके आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की उसे सूचना नहीं दी गई। तत्पश्चात् आगामी 18 साल तक उसके आवंटन का अमल दरामद या खारिज करने की कार्यवाही नहीं की गई तथा ऐसी भूमि का आवंटन किया जाना जोकि वर्ष 1999 से ही विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि थी, आवेदक के साथ आवंटन अधिकारियों का क्रूर मजाक है। जिस आवंटन आदेश की आगामी 18 साल तक कियान्विती नहीं हुई तथा राजस्व/उपनिवेशन विभाग के अधिकारी अपना रिकार्ड अपडेट नहीं कर पाये। ऐसे आवंटन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकरण में चूंकि आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है, उक्त आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया। ऐसीस्थिति में अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

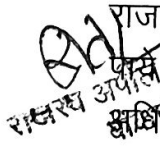

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–05–2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत/बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए सक्षमता के अनुसार नियमानुसार अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13–01–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: